UPBJ240018962021

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर

फौ0 वाद सं0— 1289/2021

सरकार बनाम रवि कुमार

मु0अ0स0— 72/2021

थाना— मण्डावली, जनपद बिजनौर।

<u>आरोप</u>

मैं, अखिल कुमार निझावन, सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नजीबाबाद जनपद बिजनौर आप **रवि कुमार** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं—

यह कि दिनांक 17—04—2021 को समय करीब 23—20 बजे स्थान कोटावाली नदी से 50 कदम प्रीतमगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते पर, सीमान्तर्गत थाना मण्डावली, जिला बिजनौर में आप पुलिस द्वारा पकड़े गये और आपके कब्जे से एक प्लास्टिक के कट्टे में 17 पव्वे 8 पी.एम. शराब बरामद हुई तथा शराब रखने का लाईसेंस तलब करने पर आप दिखाने से कासिर रहे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा **60(1)** आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांकः 21—05—2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर। यू.पी. 03212

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

दिनांकः 21—05—2022

(अखिल कुमार निझावन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद
बिजनौर। यू.पी. 03212